मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
(आई एस ओ 9001–2000 प्रमाणित)
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002
चिन्ता से मुक्ति

ईमेल– jd-olhq@esic.in
टेलीफोन : 011.232335778
वीओआइपी:10011080,10011095

संख्याःए–49/13/5/2012–रा.भा. दिनांक 4 अक्तूबर, 2013

परिपत्र

विषयः– दिनांक 26.9.2013 को बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न क.रा.बी.निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 144वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2013 को आयोजित क.रा.बी.निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

4.10.13
(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा)

सेवा में,

1. मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए–4149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
4. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
5. बीमा आयुक्त (रा. प्र. अ.)/सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी), क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा ।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक–क.रा.बी.अस्पताल ।
7. उप निदेशक(राजभाषा),केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने हेतु ।

C:\Users\ESICHQ\Desktop\rajbhasha\hindi minutes.doc

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन.....
Website Contents Management.....
डायरी सं./Diary No.....572.....
दिनांक/Date.....09/10/13.....

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 144वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 144वीं बैठक श्री एस.सी. चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2013, मंगलवार को अपराह्न 3:30 बजे मुख्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । इसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	
1.	एस.सी.चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त (राजभाषा)	अध्यक्ष
2.	के. पद्मजा नांबियार, बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन)	सदस्य
3.	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त (भर्ती)	सदस्य
4.	अरुण कुमार, अपर आयुक्त (राजस्व)	सदस्य
5.	डॉ. कायम सिंह, उप चिकित्सा आयुक्त (दर संविदा)	सदस्य
6.	डॉ. अभिमन्यु पान्डा, उप चिकित्सा आयुक्त (धनवंतरी)	सदस्य
7.	संजय सिन्हा, निदेशक (सू.सं.प्रौ.)	सदस्य
8.	के.जी.सुरेश, संयुक्त निदेशक (वित्त)	सदस्य
9.	राम सिंह बिश्नोई, संयुक्त निदेशक (सतर्कता)	सदस्य
10.	टी.टी.एम.ताराकन, संयुक्त निदेशक (स्थापना–5)	सदस्य
11.	रत्नेश कुमार गौतम, संयुक्त निदेशक(जनसंपर्क शाखा)	सदस्य
12.	अक्षय काला, संयुक्त निदेशक, (चिकित्सा प्रशासन)	सदस्य
13.	गणेश शंकर गिरि, संयुक्त निदेशक, (परीक्षा)	सदस्य
14.	प्रियरंजन दास, संयुक्त निदेशक(सं.प्र.प्रभाग)	सदस्य
15.	सुनील तनेजा, संयुक्त निदेशक(स्थापना–2)	सदस्य
16.	ए.के.साहू, संयुक्त निदेशक (प्रबंध सेवा एकक)	सदस्य
17.	हीरा सिंह, उप निदेशक (हितलाभ–1)	प्रतिनिधि
18.	खिलानन्द चमोली, सहायक निदेशक (हितलाभ–2)	प्रतिनिधि
19.	नीलम ओबराय, सहायक निदेशक (लोक शिकायत)	प्रतिनिधि
20.	डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	सदस्य–सचिव

पूर्वोक्त के अलावा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक(राजभाषा) एवं श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे ।

सर्वप्रथम सदस्य–सचिव डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक(राजभाषा) ने मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एस.सी.चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त महोदय के साथ–साथ अन्य सदस्यों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया । तदनंतर अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि यह बैठक सितंबर 2013 तिमाही के लिए है । इसमें जून, 2013 तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी ।

उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों का हिंदी के लिए आवाहन करते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य न केवल मुख्यालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है अपितु अपने कार्यों द्वारा पूरे देश के लिए आदर्श उपस्थित करना है । इस प्रकार हमें दोहरे दायित्व का निर्वाह करना है ।

बैठक में निम्नलिखित विषयों पर मदवार चर्चा हुई :–

मद संख्या 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा ।

सदस्य सचिव ने कहा कि पिछली बैठक का मसौदा कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं शाखाओं को परिचालित किया गया था । किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । यदि अनुमति हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए । सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

पिछली बैठक के निर्णयों पर चर्चा करते हुए सदस्य–सचिव ने बताया कि इसमें पांच प्रमुख निर्णय लिए गए थे और राजभाषा शाखा की ओर से पांचों पर कार्रवाई की जा चुकी है । परंतु संबंधित शाखाओं (सतर्कता निरीक्षण एकक, योजना एवं विकास, संपत्ति प्रबंधन प्रभाग) ने धारा 3(3) संबंधी दस्तावेजों की सही–सही संख्या दर्शाने में अपेक्षित सुधार नहीं किया । आशा व्यक्त की गई कि सभी शाखाएं हिंदी पत्राचार पर हिंदी में ही कार्रवाई करेंगी । रोकड़ और सामान्य शाखा ने हिंदी पत्राचार में आई गिरावट में सुधार किया है । मॉड्यूल/एप्लिकेशन और पोर्टल के द्विभाषीकरण के संबंध में निदेशक (सू.सं.प्रौद्योगिकी) ने सूचित किया कि विप्रो को तत्संबंधी कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है तथापि इस बारे में बीमा आयुक्त (सू.सं.प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है । इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय ने बीमाकृत व्यक्तियों को जारी होने वाले पहचान कार्ड में द्विभाषिकता को अनिवार्य किए जाने पर बल दिया । अवगत कराया गया कि दिनांक 22.7.2013 को मुख्यालय की छह और शाखाओं (स्थापना–1,3,4, परीक्षा, योजना एवं विकास तथा जनसंपर्क) के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया गया है । इस प्रकार मुख्यालय की 16 शाखाएं विनिर्दिष्ट कर दी गई हैं जो वार्षिक कार्यक्रम में 'क' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल है ।

मद संख्या 2	हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा ।

सदस्य सचिव ने शाखाओं द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों के आंकड़ों की तालिका पर चर्चा करते हुए कहा कि जून तिमाही के दौरान कुल 12333 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए थे । नियमानुसार किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया । मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 73.5%, 'ख' क्षेत्र के साथ 66% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 45% मूल पत्राचार हिंदी में किया गया । तिमाही के दौरान फाइलों में कुल 19439 टिप्पणियों में से 60% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई । स्थापना शाखा–2, चिकित्सा शाखा–4, लेखा शाखा–2, लेखा शाखा–5, लेखा शाखा–6, लेखा शाखा–7, हितलाभ–1, राजस्व–1, राजस्व–2 एवं लोक शिकायत कक्ष का मूल हिंदी पत्राचार 50% से कम पाया गया । अध्यक्ष महोदय ने इस पर असंतोष व्यक्त किया । लेखा व हितलाभ शाखाओं के संबंध में क्रमशः श्री के.जी.सुरेश, संयुक्त निदेशक (वित्त) तथा श्री हीरा सिंह, उप निदेशक (हितलाभ) ने आश्वासन दिया कि यथासंभव हिंदी में कार्य बढ़ाया जाएगा । इसके साथ–साथ उप निदेशक (हितलाभ) ने हिंदी पत्रों की प्रतिशतता में वृद्धि के लिए लिनक्स कम्प्यूटरों में यूनिकोड के सुचारु ढंग से कार्य सुनिश्चित

कराने के लिए निदेशक (सू.सं.प्रौ.) से आग्रह किया । अध्यक्ष महोदय ने उक्त शाखाओं के पत्राचार में आई गिरावट पर इसके लिखित कारण जानने के लिए संबंधित शाखाओं को पत्र लिखने के लिए कहा । स्थापना शाखा–5, स्थापना–6 एवं लेखा शाखा–3 व 8 का हिंदी पत्राचार 90% से अधिक पाए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने इन शाखाओं की सराहना की ।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी टिप्पणियों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी बल दिया । उन्होंने स्मरण कराया कि तिमाही रिपोर्ट संबंधित संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर से ही प्रेषित की जानी अपेक्षित है ।

मद संख्या 3	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन ।

इस मद पर सदस्यों में गहन विचार–विमर्श हुआ क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति इसे अत्यंत गंभीरता से लेती है । अध्यक्ष महोदय के निदेश पर सदस्य–सचिव ने बताया कि धारा 3(3) में सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएं निविदा सूचनाएं आदि आती हैं जो अधिदेशात्मक हैं । इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए । अतः हस्ताक्षरकर्ता उक्त दस्तावेज कभी भी केवल अंग्रेजी में जारी न होने दें । उक्त धारा संबंधी आंकड़ों को लापरवाही से भरे जाने पर अध्यक्ष महोदय ने हिंदी रिपोर्ट भरने वाले सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया ।

मद संख्या 4	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा ।

सदस्य–सचिव ने अवगत कराया कि निगम के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के प्रयोजन से राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (2013–14) परिचालित कर दिया गया था । निर्धारित लक्ष्यानुसार मुख्यालय में हिंदी टंकक/आशुलिपिक भर्ती नहीं किए गए, इसलिए ऐसे कार्मिकों को क्रमिक रूप से हिंदी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

मद संख्या 5	जांच बिन्दुओं पर कार्रवाई ।

सदस्य–सचिव ने जांच बिंदु की मदें पढ़कर सुनाई एवं सदस्यों से उनके स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध किया । श्री रत्नेश गौतम, संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क) के सुझाव पर प्रापण एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति शाखा से भी हिंदी प्रगति रिपोर्ट मंगाने का निर्णय किया गया ।

मद संख्या 6	क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति ।

सदस्य–सचिव ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि निगम की अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा नीति का बेहतर हिंदी कार्यान्वयन हो रहा है । इनमें हिंदी संबंधी प्रगति के आकलन के लिए आलोच्य तिमाही में 02 निरीक्षण किए गए ।

सदस्य–सचिव ने यह भी बताया कि तीनों क्षेत्रों के कार्यालयों में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए जुलाई, 2013 में कोलकाता में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली; उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली को बीमा आयुक्त (राजभाषा) द्वारा शील्ड प्रदान की गईं ।

निगम कार्मिकों द्वारा हिंदी में रचनात्मक लेखन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि इस समय कुल 37 पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। इनमें गुणवत्ता की स्पर्धा को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पत्रिका प्रतियोगिता की शुरुआत भी की गई है ।

मद संख्या 7	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।**

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों को अपने सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया ।

श्री हीरा सिंह, उप निदेशक (हितलाभ) ने जिज्ञासा व्यक्त की कि निगम में परा चिकित्सा स्टाफ की भर्ती के समय क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न पत्र रखा जा रहा है, क्या यह राजभाषा के नियमानुकूल है । इस पर स्पष्ट किया गया कि कुछ पदों के कार्य की प्रकृति की अपेक्षानुसार स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है।

सदस्य–सचिव ने सूचित किया कि निगम मुख्यालय कार्मिकों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने के प्रयोजन से छमाही हिंदी पत्रिका **"पंचदीप भारती"** का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है तथा हाल ही में हिंदी दिवस के अवसर पर इसके छठे अंक का विमोचन किया गया । यह हर्ष की बात है कि नराकास दिल्ली, उपक्रम में वर्ष 2012–2013 के लिए पंचदीप भारती के तीसरे और चौथे अंक को विशेष प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया । सदस्य–सचिव ने सभी सदस्यों से पत्रिका के लिए मार्च, 2014 में प्रकाश्य सातवें अंक के लिए अपनी रचनाएं भेजने का अनुरोध किया ।

अध्यक्ष महोदय ने संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क) को निदेश दिया कि निगम मुख्यालय की वेबसाइट का वेलकम पृष्ठ इस प्रकार से डिजाइन कराएं कि उसमें हिंदी/अंग्रेजी के विकल्प की स्पष्ट सूचना मिले ।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक का समापन हुआ ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा)